छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक 15 जनवरी, 2016

क्रमांक एफ 20–102/2015/ग्यारह/(छै) "औद्योगिक नीति 2014–19" की कंडिका 15.23 द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत राज्य शासन एतद् द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 01 नवंबर 2014 से निम्नलिखित नियम बनाता है,

1 परिचय –

राज्य में समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक अधोसंरचना का विकास भी आवश्यक है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य शासन के निगमों/एजेंसियों द्वारा ही किया जाता रहा है। राज्य में औद्योगिक भूमि की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना निजी क्षेत्र में भी कराने हेतु राज्य शासन द्वारा पहल की जावे। औद्योगिक अधोसंरचना के तीव्र विकास हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण है । इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2014–19" में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना का प्रावधान रखा है, जिसमें अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30% अधिकतम 5 करोड़ रूपये तक का अनुदान, स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर में शतप्रतिशत छूट का प्रावधान है। साथ ही इन पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी राज्य की प्रचलित औद्योगिक नीतियों एवं अधिसूचनाओं के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्कों की स्थापना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित होगी, भू–अर्जन/निजी भूमि के अधिकाधिक क्रय पर भी रोक लगेगी। इससे राज्य के कृषक/डेव्हलपर व उद्योगपति जिनके पास कृषि भूमि /औद्योगिक भूमि की अधिक मात्रा उपलब्ध है वे औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित होंगे व सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भी युक्तियुक्त दरों पर औद्योगिक भूमि प्राप्त होने में सुगमता होगी।

2 शीर्षक

ये नियम **"छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना अनुदान नियम 2014"** कहे जायेंगे।

3 कालावधि

ये नियम 1 नवम्बर 2014 से लागू मान्य किये जावेंगे, व इसकी कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक होगी।

4 पात्रता

निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु निम्नांकित अर्हताओं की पूर्ति आवश्यक होगी –

4.1 इस नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, साझेदारी/कम्पनी/सीमित दायित्व साझेदारी/प्रमोटर आवेदन कर सकता है।

4.2 आवेदक को न्यूनतम 25 एकड़ वैध भूमि की व्यवस्था करनी होगी।

4.3 आवेदक की वित्तीय स्थिति ऐसी हो कि वह निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करने में सक्षम हो।

4.4 आवेदक का आवेदन स्वीकृत होने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

5 परिभाषाएं

5.1 **''भूमि''** से तात्पर्य है, निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवेदक के पास न्यूनतम 25 एकड़ भूमि का वैध आधिपत्य हो।

5.2 **''अधोसंरचनात्मक लागत''** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है डेव्हलपर के आधिपत्य में न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर भूमि विकास, निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क हेतु पहुंच मार्ग, निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के भीतर की आंतरिक सड़के, ड्रेनेज निर्माण, निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के भीतर/बाहर विद्यत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति एवं प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना पर किया गया व्यय।

टीपः– अधोसंरचना लागत में भूमि की लागत को (अधोसंरचना अनुदान प्रयोजन हेतु) सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

5.3 **''भूमि विकास''** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क हेतु भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग व इस मद में कुल अधोसंरचना लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा रूपये 1.50 करोड़, जो भी कम हो, मान्य किया जायेगा।

5.4 **''पहुंच मार्ग''** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के निकटवर्ती मार्ग से निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते कि शासन के किसी विभाग/उपक्रम/एजेंसी का कोई पहुंच मार्ग औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क तक न हो। इस मद में अधिकतम लागत रूपये 1.00 करोड़ ही मान्य होगी।

5.5 **''विद्युत आपूर्ति''** से अभिप्रेत है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु डेव्लपर

द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी को भूगतान की गई राशि तथा निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क का आंतरिक विद्युतीकरण व बाहय विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं विद्युत उपकेंद्र/डी.जी. सेट पर किया गया व्यय।

टीप : (1) इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी।

(2) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना औद्योगिक पार्क/औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत" के तहत मान्य नहीं किया जावेगा।

5.6 **"जल आपूर्ति"** से अभिप्रेत है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में स्थापित उद्योगों को **औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के बाहर/भीतर के स्त्रोतों से** जल आपूर्ति हेतु किया गया निवेश, जिसमें ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सम्मिलित है, (सिक्यूरिटी डिपाजिट व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो।

5.7 **"आंतरिक सड़के"** से आशय है निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क के भीतर निर्मित सड़के।

5.8 **"प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना"** से आशय है डेव्हलपर द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु विकसित की गई प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना व इसमें सम्मिलित है, प्रशासकीय भवन, बैंक/ एटीएम/ पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर एवं कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र, वेब्रिज पार्किंग एरिया, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये गये उपाय, सामूहिक गोदाम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं।

टीपः– प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना मद में कुल अधोसंरचना लागत का 20 प्रतिशत से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जावेगा।

6 प्रक्रिया

6.1 इस अधिसूचना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के समक्ष दो प्रतियों में (उपाबंध–1 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेखों की प्रतियां भी **यथास्थिति यदि लागू हो** संलग्न करनी होगी –

1– आवेदक की वैयक्तिक जानकारी

2– आवेदक के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, व्यवसाय व सेवा से संबंधित जानकारी

3– विगत तीन वर्षों की बेलेन्स शीट

4– भूमि के स्वामित्व/आधिपत्य एवं नक्शा/भूमि की स्थिति

5– प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का संभावित ले–आउट प्लान/मानचित्र

6– प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की विस्तृत परियोजना

7– परियोजना के स्रोतों से संबंधित जानकारी (बैंकों से ऋण/वित्तीय संस्थाओं से ऋण /स्वयं के स्त्रोत /अंशपूजी इत्यादि)

8– विगत 3 वर्षों में आयकर, उत्पाद शुल्क व वेटकर के भुगतान की जानकारी

6.2 आवेदन पत्र का परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा :–

1.	उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग	– अध्यक्ष
2.	संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अधिकृत प्रतिनिधि,	– सदस्य
4.	संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि,	– सदस्य
5.	स्थानीय निकायों के कार्यालय प्रमुख यथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत	– सदस्य
6.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि,	– सदस्य
7.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	– सदस्य
8.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	– सदस्य
9.	अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय	– सदस्य सचिव

समिति का कोरम 4 का होगा, जिस पर क्रमांक 4 पर अंकित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क/क्षेत्र के स्थल का भ्रमण कर सकेगी व आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगी। आवेदक को अपनी योजना का प्रस्तुतीकरण भी समिति के समक्ष करना होगा।

समिति द्वारा यह परीक्षण किया जावेगा कि निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु जो स्थल प्रस्तावित किया गया है, वह औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं ।

6.3 उद्योग संचालनालय भी राज्य में किसी स्थान विशेष में निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु संबंधित स्थान विशेष में औद्योगिक प्रयोजन/औद्योगिक विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभिरूचि प्रस्ताव समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित कर सकेगा।

6.4 अभिरूचि प्रस्तावों में भी आवेदक को निर्धारित प्रारूप में वांछित अभिलेखों सहित जानकारी देनी होगी।

6.5 जिन आवेदकों को भारत सरकार द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को भी इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6.6 इस अधिसूचना के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा आवेदन सीधे प्रेषित किया है एवं अभिरूचि प्रस्तावों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण भी उपरोक्तानुसार समिति द्वारा किया जावेगा एवं सफल आवेदकों का चयन किया जावेगा/सूचिबद्ध किया जावेगा व आवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध–2 अनुसार जारी की जावेगी।

6.7 संचालक उद्योग द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा व शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमोदन दिया जावेगा। प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश उपाबंध–4 अनुसार जारी किया जावेगा।

प्रकरण निरस्त होने पर निरस्तीकरण की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा परीक्षणोपरांत दे दी जावेगी।

6.8 स्वीकृति आदेश में निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु समस्त शर्तें/डेव्हलपर के अधिकार व दायित्वों एवं पार्क की स्थापना की अवधि व अन्य शर्तों का उल्लेख होगा व इसके अतिरिक्त डेव्हलपर एवं राज्य शासन के मध्य औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु एक अनुबंध का निष्पादन भी होगा। अनुबंध में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की शर्तें डेव्हलपर के अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की अवधि एवं राज्य शासन के अधिकारों का उल्लेख होगा। राज्य शासन की ओर से यह अनुबंध उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा। अनुबंध का पंजीयन भी किया जावेगा, एवं पंजीयन का व्यय डेव्हलपर द्वारा किया जावेगा।

7 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की शर्तें :–

7.1. भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना ।

7.2. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना ।

7.3. नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना।

7.4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना।

7.5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7.6. शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्योगों को भूमि आबंटन करना।

7.7. 25 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों की स्थापना करना ।

7.8. स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा।

7.9 डेव्हलपर द्वारा राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा।

8— निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं –

डेव्हलपर को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में निम्नांकित अधोसंरचना विकसित करनी होगी :–

8.1 न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी रोड (औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग हेतु)

8.2 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था

8.3 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति व्यवस्था

8.4 ड्रेनेज व्यवस्था व स्ट्रीट लाईट व्यवस्था

8.5 औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का निर्माण

8.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासकीय व अन्य

8.7 बुनियादी अधोसंरचना।

9— निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के डेव्हलपर के अधिकार एवं दायित्व—

9.1 इन नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करवानी होगी, जिसकी संख्या भूमि के कुल रकबे के आधार पर निर्धारित होगी। 25 एकड़ भूमि का रकबा होने पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना आवश्यक होगी। भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

9.2 भूमि का आबंटन फ्री होल्ड /लीज होल्ड पर किया जा सकेगा, भूमि लीज की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होगी । डेव्हलपर भूमि की प्रब्याजी दरों के निर्धारण,

लीज रेन्ट, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होगा।

9.3 डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश व इस संबंध में निष्पादित अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

9.4 डेव्हलपर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में किसी ऐसे उद्योग को भूमि आबंटित नहीं की जावेगी जिसे भारत सरकार अथवा राज्य शासन अथवा इनकी एजेंसियों द्वारा निःषिद्ध घोषित किया गया है।

9.5 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क में जिन औद्योगिक इकाईयों/व्यवसाय व सेवा उपक्रमों को भूमि आबंटित की जावेगी उनके पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले विक्रय/लीज अभिलेखों में राज्य शासन के संबंधित विभागों की शर्तों के परिपालन की स्वीकृति का उल्लेख होगा।

9.6 डेव्हलपर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के सुव्यवस्थित संचालन हेतु औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के संगठन को अथवा अन्य किसी तृतीय पक्ष को दे सकेंगे।

9.7 डेव्हलपर को भी राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप पार्क की स्थापना व संचालन हेतु राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रेणी में 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 50 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय श्रेणी में 33 प्रतिशत न्यूनतम रोजगार प्रदान करना होगा।

9.8 डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के निर्माण की अवधि में छमाही आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक को निर्माण की प्रगति से आवगत कराना होगा व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के पश्चात 5 वर्षो की अवधि तक औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्थिति विवरण भी प्रस्तुत करना होगा ।

9.9 डेव्हलपर को निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में भू–शेड आबंटन/भू–शेड हस्तांतरण/ भू–शेड निरस्तीकरण हेतु राज्य शासन के किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

9.10 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों को स्वामित्व परिवर्तन की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग को देनी होगी।

9.11 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों की भूमि शेड/उद्योग के विक्रय हेतु डेव्हलपर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। डेव्हलपर को केवल हस्तांतरण शुल्क ही देय होगा। यह हस्तांतरण शुल्क सीएसआईडीसी/उद्योग विभाग द्वारा लिये जाने वाले हस्तांतरण शुल्क से कम नहीं होगा।

9.12 डेव्हलपर अधोसंरचना लागत में निहित मदों का विक्रय निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क प्रारंभ होने के 10 वर्षों की अवधि तक नहीं कर सकेगा तथा इस अवधि के पश्चात् उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

9.13 निजी औद्योगिक क्षेत्र का संधारण डेव्हलपर को या तो स्वयं अथवा किसी अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से अनिवार्यतः करना होगा।

10– औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना की अवधि –

डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित कार्यवाही पूर्ण करनी होगी :–

10.1 स्वीकृति आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर भूमि की व्यवस्था।

10.2 स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना।

10.3 उपरोक्त कंडिका 10.2 के अनुसार निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर संचालक/आयुक्त उद्योग गुण–दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम 6 माह की वृद्धि कर सकेगा।

10.4 उपरोक्त कंडिका 10.3 के अनुसार बढाई गई अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग गुण–दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम 6 माह की वृद्धि, कुल देय अनुदान राशि में से 20 प्रतिशत की कटौती के साथ कर सकेगा।

11– औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता व प्रक्रिया –

11.1 इस नियम के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों की स्थापना होने पर (क्षेत्रफल न्यूनतम 25 एकड़) डेव्हलपर को अधोसंरचना अनुदान, अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 500 लाख का अनुदान कंडिका 11.3.3 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार दिया जायेगा।

टीप :–(1) यदि डेव्हलपर को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त है एवं भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन अधोसंरचना अनुदान की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना अनुदान राशि के रूप में दी जावेगी।

11.2 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को अनुदान/छूट–

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भू आबंटन पर राज्य शासन द्वारा भू प्रब्याजी में कोई छूट/रियायत नहीं दी जावेगी।
2. उपरोक्त (1) में स्थापित होने वाले उद्योगों को उद्योग स्थापना पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन वे समस्त अनुदान, छूट व रियायतें (भू प्रब्याजि में छूट को छोड़कर) प्राप्त होगी जो तत्समय में प्रचलित औद्योगिक नीति, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, ऑटोमोटिव उद्योग नीति में प्रावधानित है (यथास्थिति जो लागू हो) संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त होगी।

11.3 अधोसंरचना अनुदान की प्रकिया :–

1. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना पर अधोसरंचना लागत पर 30 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा जो इन नियमों के अंतर्गत अधिसूचित परिभाषाओं तथा सीमाओं के अधीन होगा।

   1. भूमि विकास,
   2. पहुंच मार्ग,
   3. विद्युत आपूर्ति,
   4. जल आपूर्ति,
   5. आंतरिक सड़के,
   6. प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना,

2. अधोसंरचना अनुदान हेतु औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात उपाबंध–5 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग संचालनालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करने होंगे :–

   2.1 उपाबंध –7 अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेड का निवेश प्रमाण पत्र ।
   2.2 उपाबंध–8 अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर का वेल्यूवेशन प्रमाण पत्र।
   2.3 उपाबंध–9 अनुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किया गया व्यय एवं कुल अधोसंरचना लागत के पूर्णता प्रतिशत से संबंधित प्रमाण पत्र व सूची ।

3. अधोसंरचना अनुदान की स्वीकृति व वितरण तीन किस्तों में किया जावेगा।

   (अ) प्रथम किस्त 40 प्रतिशत (कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 3 उद्योगों को भूमि आवंटन/विक्रय पर, कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 21 माह के भीतर करना होगा)

   (ब) द्वितीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 5 उद्योगों को भूमि आवंटन/विक्रय पर, कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 25 माह के भीतर करना होगा)

   (स) तृतीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर करना होगा)

   टीप– निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर अधोसंरचना लागत अनुदान की 10 प्रतिशत राशि रोक दी जावेगी व यह राशि तब मुक्त की जावेगी जब परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य निर्धारित 30 माह की अवधि में पूर्ण हो जावे।

   परंतु, यदि कंडिका 10.3 एवं 10.4 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि उक्त 30 माह के अतिरिक्त प्रदत्त मान्य की जावेगी।

4 स्व–वित्त पोषित परियोजनाओं में भी अनुदान की पात्रता होगी।

5. अधोसंरचना अनुदान का क्लेम प्रकरण उद्योग संचालनालय में प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया जावेगा व आवेदन पत्र का पंजीयन कर पंजीयन कमांक देते हुए अभिस्वीकृति उपाबंध–6 अनुसार की जावेगी

6. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किये गये व्ययों के संबंध में उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट विभाग के उपक्रम छ.ग. स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन/राज्य शासन के निर्माणी कार्यालयों से ली जावेगी।

7. स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा उपरोक्त क. (3) अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किये जावेंगे।

8 उद्योग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना अनुदान स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट में राशि की उपलब्धता होने पर वितरण किया जावेगा। बजट उपलब्धता के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा ।

9. बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे डेव्हलपर के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा।

12. अपील /वाद

12.1 उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

12.2 अपील– अपील शुल्क रूपये 5000/– का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी ।

12.3 अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

13 अधोसंरचना अनुदान की वसूली

13.1 डेव्हलपर के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात यह पाया जाता है कि डेव्हलपर द्वारा कोई तथ्यो छुपाये गये है/तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

13.2 डेव्हलपर द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले

रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9.7 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

13.3 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित प्रगति/सुविधाओं को दर्शाने वाला स्थिति विवरण उद्योग संचालनालय को पार्क की स्थापना से 5 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध न कराई जावे।

13.4 यदि डेव्हलपर को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गई हो ।

13.5 यदि डेव्हलपर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बीच अवधि में छोड़ दिया जाता है/नहीं किया जाता है ।

13.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य बीच में छोड़ देने अथवा नहीं करने पर दी गई छूट (स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से छूट, भू निर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में छूट) के समतुल्य राशि की वसूली की जावेगी ।

13.7 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 13.1 से 13.6 के अनुसार उद्योग आयुक्त/संचालक द्वारा सुनवाई पश्चात स्वीकृति आदेश के निरस्तीकरण आदेश जारी किये जायेगें /निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं दी गई छूट के समतुल्य राशि व अनुदान राशि 12% वार्षिक साधारण व्याज के साथ वसूल की जावेगी ।

13.8 वसूल की जाने वाली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य भी की जा सकेगी।

14 स्वप्रेरणा से निर्णय :–

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अथवा अधोसंरचना अनुदान के संबंध में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगा तथा ऐसे नियमानुसार आदेश पारित कर सकेगा परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा । राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो प्रभावित पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा।

15 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

16 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

18 योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन

18.1 निजी क्षेत्र में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना से संबंधित कठिनाईया एवं समस्याओं का निराकरण राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के संचालक मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की जावेगी।

18.2 निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की समीक्षा/मानीटरिंग वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी व उद्योग हित में नियमों में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।

18.3 योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. एफ 20–31/2015/ग्यारह/(छै) नया रायपुर दिनांक 15 जनवरी 2016

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर।
   प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर।
2. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें ।
3. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

"उपाबंध–1"

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु आवेदन

1– **आवेदक का नाम व पता –**

2– **आवेदक का संगठन –**

3– **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल –**

1 स्थान

2 विकास खण्ड

3 जिला

4– **पंजीयन**

1– वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन

2– भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन

3– स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव

5– आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक –

6– आवेदक के बैंक खाते –

7– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित दिनांक –

8– **योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)**

क्र0		राशि
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा ....)	
(2)	**भूमि विकास** भूमि का समतलीकरण भूमि का गहरीकरण बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग	
(3)	**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग**	
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर) आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य चिद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, विद्युत उपकेंद्र केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश अन्य	
(5)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग	
(6)	अन्य **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना**	

	प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, कैंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ-मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य योग –	
	महायोग–	

7– **योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–**

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

8– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों/सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)–

9– संभावित विद्युत भार–

10– आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी –

11– भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति/आवेदन, यदि हो तो –

स्थान–
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
आवेदक/कंपनी का नाम व पता

2

//शपथ पत्र//

मैं .... (शपथकर्ता का नाम एवं पदनाम), डेव्हलपर का नाम .... शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं व यह शपथ पत्र देने के लिए .... की ओर से अधिकृत हूँ कि –

1– आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2– छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना के नियमों का अध्ययन कर लिया है इस बाबत स्वीकृति आदेश व निष्पादित अनुबंध की कंडिकाओं का पूर्ण पालन किया जावेगा।

3– डेव्हलपर द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।

या

डेव्हलपर द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी बिंदु का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान –
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
आवेदक/कंपनी का नाम व पता

"उपाबंध–02"

(अभिस्वीकृति)
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता...
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना ....
.... में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स..
....
....

"उपाबंध–03"

(अभिस्वीकृति)
उद्योग संचालनालय
छत्तीसगढ़

मेसर्स .... पता...
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना..में करने के संबंध में अधोसंरचना अनुदान क्लेम.. में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक.................... (अक्षरी)... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन कमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की सील

प्रति,

मेसर्स..
....
....

"उपाबंध–4"

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .... के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्को की स्थापना योजना नियम 2014** के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन .... स्थान पर (नक्शा संलग्न) औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है:–

1 न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करनी होगी।

2 भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना ।

3 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना ।

4 नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना।

5 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना।

6 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7 शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्योगों को भूमि आबंटन करना।

8 25 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों की स्थापना करना भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की स्थापना संख्या में भी वृद्धि होगी।

9 स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा।

10 डेव्हलपर को राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा।

11 औद्योगिक क्षेत्र हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा।

12 पार्क की स्थापना के संबंध में स्वयं के व्यय पर अनुबंध का निष्पादन कराना होगा।

13 अधिसूचना व अनुबंध में निहित डेव्हलपर के दायित्वों का पालन करना आवश्यक होगा।

सचिव/उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

"उपाबंध–5"

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान का क्लेम आवेदन

1– **आवेदक का नाम व पता –**
2– **आवेदक का संगठन –**
3– **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल –**
   1 स्थान
   2 विकास खण्ड
   3 जिला
4– **पंजीयन**
   1– वेट कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
   2– भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन
   3– स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/

5– आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक –
6– आवेदक के बैंक खाते –
7– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना दिनांक –
8– **योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)**

क्र0		राशि
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा ....)	
(2)	**भूमि विकास** भूमि का समतलीकरण भूमि का गहरीकरण बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग	
(3)	**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग**	
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर) आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, विद्युत उपकेंद्र केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश अन्य	
(5)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग	

(6)	अन्य **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य **योग –**	
	महायोग–	

9– योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

10– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों/सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)–

11– संभावित विद्युत भार–

12– आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी –

13– भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति/आवेदन, यदि हो तो –

14– रोजगार (नवीन उद्योगों के प्रकरणों में)–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				

कुशल वर्ग				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग				
योग				

स्थान–

दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

आवेदक / कंपनी का नाम व पता

"उपाबंध–6"

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अंतर्गत
स्वीकृति आदेश
उद्योग संचालनालय

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. .... के अन्तर्गत)

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के अनुदान नियम 2014** के नियम क्रमांक "..........." के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

1– डेव्हलपर का नाम व पता

2– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

3– पंजीयन क्रमांक

4– 1. अनुमोदित परियोजना लागत –
2. वास्तवित परियोजना लागत–
2.1 वास्तवित परियोजना लागत का 40 प्रतिशत कार्यपूर्ण –
2.2 वास्तवित परियोजना लागत का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण –
2.3 वास्तवित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण –

5– स्वीकृत अधोसंरचना अनुदान राशि :–
3.1 प्रथम किस्त– 40 प्रतिशत
3.2 द्वितीय किस्त– 30 प्रतिशत
3.3 तृतीय किस्त– 30 प्रतिशत

6– यह राशि वित्तीय वर्ष– .... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –
....
....

7– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

"उपाबंध–7"

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

नाम .... जिसका पंजीकृत पता .... है व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क...................... में स्थित है, व पार्क प्रारंभ करने का दिनांक....................(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक.................................है। स्वीकृत आदेश क्र. .... दिनांक...............................से ....अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. ....के विरूद्ध .... किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन .... के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान व सत्यापन के पश्चात् किया गया है:–

क्र0	विवरण	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश....................के जारी होने के दिनांक से दिनांक .... तक की गई अधोसंरचना लागत रूपयों में	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश.................... के जारी होने के दिनांक से दिनांक .... तक की गई अधोसंरचना लागत वास्तविक भुगतान राशि
1.	2.	3.	5.
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा ....) **भूमि विकास** भूमि का समतलीकरण भूमि का गहरीकरण बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग		
(2)	**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग** **विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर) आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, विद्युत उपकेंद्र केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश अन्य		
(3)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग		

(4) (5)	अन्य **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, कैंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य **योग –**		
	महायोगः–		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

"उपाबंध–8"

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र)
(लेटर हैड पर)

नाम .... जिसका पंजीकृत पता .... है व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क..................... में स्थित है, व पार्क प्रारंभ करने का दिनांक....................(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक...............................है। स्वीकृत आदेश क्र. ....दिनांक............... ....से ....अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. ....के विरूद्ध .... किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन..................पर आधारित है। जिसका सत्यापन स्थल निरीक्षण उपरांत मेरे द्वारा किया गया है।

क्र0	विवरण	मात्रा	लागत
1.	2.	3.	5.
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा ....) **भूमि विकास** भूमि का समतलीकरण भूमि का गहरीकरण बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग **औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग**		
(2)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर) आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण स्ट्रीट लाईट व्यवस्था, विद्युत उपकेंद्र केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश अन्य		
(3)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अन्य		
(4)	**प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम पोस्ट ऑफिस,		

(5)	पुलिस थाना / पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण / विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर / मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य **योग –**		
	महायोगः–		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

"उपाबंध 9"

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अन्तर्गत निवेश की सूची (मूलप्रति)

1. भूमि
2. भूमि विकास
3. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग
4. विद्युत आपूर्ति निवेश
5. जल आपूर्ति निवेश
6. प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक/ चालान क्रमांक	राशि

(1)

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– आवेदक इकाई का नाम
व पता

(2)

स्थान– हस्ताक्षर
दिनांक– नाम व पता
सील
पंजीयन क्रमांक व दिनांक

टीपः– 1– सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।
4– निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे–
5– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो।